न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/120/2021, रजि0 न0 2021/226

अपीलार्थी:–

बजरंगलाल शर्मा पुत्र श्री लादूराम शर्मा, निवासी ग्राम–पोस्ट प्रतापगढ, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 24.08.2021

8. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
9. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
10. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 24.08.2021 को उपस्थित आवें।
11. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1438 दिनांक 04.08.2021 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, की अति0 कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक सतर्कता/सूकाअ–30/2021/1754 दिनांक 03.05.2021 के माध्यम से प्राप्त सूचना लो.सू.अ./RTI/2021/995 दिनांक 05.05.2021 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही अवगत कराया है की प्रकरण में प्रश्नगत अपील प्रा0पत्र दि0 11.07.2021 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांक 06.04.2021 कार्यालय पत्र सं. 909–10 दिनांक 15.04.2021 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत तह0 थानागाजी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित करते हुए प्रकरण मे आगामी कार्यवाही बाबत अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार थानागाजी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते है। कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
12. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
13. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
14. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर